

भारत में 'मैनुअल स्कैवेंजिंग'

यह एडिटरियल 27/08/2022 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Murder in the sewer: On deaths during manual cleaning of sewage" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' (Manual Scavenging) की समस्या और संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

भारत में साफ-सफाई का कार्य अंतरनहित रूप से पदानुक्रम और बहिष्करण की एक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसे हम जाति प्रथा के रूप में देखते हैं। बी.आर.अंबेडकर ने बलपूर्वक कहा था कि जाति प्रथा न केवल शर्म वभिजन की ओर ले जाती है बल्कि शर्मियों का वभिजन भी करती है।

सभी प्रकार के सफाई कार्यों को 'तुच्छ' या नीच कार्य माना जाता है और इसलिये यह कार्य सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान के लोगों को सौंपा जाता है। सफाई कर्मचारी के रूप में मुख्यतः दलित व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है, जहाँ वे हाथ से मैला ढोने वाले या 'मैनुअल स्कैवेंजर्स' (Manual Scavengers), नालों की सफाई करने वाले, कचरा उठाने वाले और सड़कों की सफाई करने वाले के रूप में कार्य करते हैं।

सरकार के हाल के आँकड़ों के अनुसार, भारत में 97 प्रतिशत मैनुअल स्कैवेंजर्स दलित वर्ग के हैं।

हालाँकि मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के तहत प्रतिबंध आरोपित है, लेकिन फिर भी यह अमानवीय प्रक्रिया जारी है।

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा का कारण:

- **अकुशल सीवेज प्रबंधन प्रणाली:** भारत में अधिकांश नगर निकायों के पास सीवेज प्रणाली की सफाई के लिये नवीनतम मशीनें उपलब्ध नहीं हैं और इसलिये सीवेज शर्मियों द्वारा मैनहोल के माध्यम से भूमिगत सीवेज लाइनों में प्रवेश कर सफाई करने की आवश्यकता होती है।
 - इसके साथ ही अकुशल सफाई शर्मियों को काम पर रखना अपेक्षाकृत सस्ता है और ठेकेदारों द्वारा उन्हें दैनिक मजदूरी पर अवैध रूप से नियुक्त किया जाता है
- **नीतियों का अप्रभावी क्रियान्वयन:** सरकारी कार्यक्रमों के तहत पुनर्वास के वित्तीय पहलू पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है और ये जाति-आधारित उत्पीड़न तथा संबंधित सामाजिक स्थितियों को संबोधित करने में विफल रहे हैं जो सदियों से इस प्रथा को बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार हैं।
 - साथ ही ऐसी कोई उपयुक्त रणनीति नहीं अपनाई गई है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स को मनोवैज्ञानिक रूप से मुक्त कर सके। यह स्थिति मैनुअल स्कैवेंजिंग से संलग्न लोगों को इस प्रथा में और धँसने को विवश करती है।
- **सामाजिक गतिशीलता की कमी:** बुनियादी सुविधाओं, शक्ति और रोजगार तथा अवसरों की कमी के कारण मैनुअल स्कैवेंजर्स यह कार्य करने को विवश होते हैं और समाज भी उन्हें अन्यायपूर्ण गतिविधियों के लिये स्वीकार नहीं करता है।
 - कोई उन्हें नौकरी की पेशकश नहीं करता है और मकान मालिक उन्हें करिये पर घर नहीं देते। यह परिदृश्य उन्हें भेद्य बनाता है और उन्हें सामाजिक स्तर में ऊपर बढ़ने से अवरुद्ध करता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के प्रभाव:

- **सामाजिक भेदभाव:** अधिकांश मैनुअल स्कैवेंजर्स को उनके काम की प्रकृति के कारण समुदाय द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता है।
 - उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें अपनी यथास्थिति स्वीकार करने के लिये मजबूर किया जाता है।
 - यह समस्या बहुत गहरी है क्योंकि उनके बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जाता है और उन्हें उनके माता-पिता के समान इसी कार्य से संलग्न होने के लिये मजबूर किया जाता है।
- **जाति आधारित असमानताएँ:** इनकी जाति को अभी भी निम्न वर्ग माना जाता है और उन्हें बेहतर व्यवसाय से बहिष्कारित रखा जाता है।
 - मैला ढोने के कार्य को उनके प्राकृतिक पेशे के रूप में देखा जाता है।
 - इसके साथ ही बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले हाशिए पर स्थिति जातियों के लोग अवसर के अभाव में अंततः इसी कार्य से संलग्न होने के लिये विवश होते हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:** मैला ढोने और साफ-सफाई के कार्यों में संलग्न लोग कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों के संपर्क में

आते हैं। इन गैसों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उनमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है।

- वे सीवर में भी विभिन्न संक्रमणों के संपर्क में आते हैं जहाँ कई रोगाणु मौजूद होते हैं।
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)** के डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2013 से 2017 के बीच सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 608 मैन्युअल स्कैवेंजर्स मौत के शिकार हुए।

मैन्युअल स्कैवेंजिंग की समस्या से निपटने के लिये उठाए गए कदम:

- मैन्युअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, 2020
- मैन्युअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
- अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम 2013
- अत्याचार नविरण अधिनियम, 1989
- सफाई मत्ति सुरक्षा चुनौती
- स्वच्छता अभियान ऐप

भारत द्वारा मैन्युअल स्कैवेंजिंग पर अंकुश लगाने के माध्यम:

- **उपयुक्त पहचान:** मैन्युअल स्कैवेंजिंग मानव अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, मानवता के लिये कलंक भी है। इसलिये राज्य सरकारों को प्रभावी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर ज़हरीले मल-कीचड़ की सफाई से संलग्न श्रमिकों की पहचान करनी चाहिये।
- **हतिधारकों की सक्रिय भागीदारी:** इस समस्या से निपटने के लिये इससे संलग्न सभी प्रमुख हतिधारकों को साथ लाना आवश्यक होगा।
 - इनमें ज़िला प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और नगर निकाय सहित अन्य संबंधित कार्यकारी शामिल हैं।
 - सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के आसपास के समुदाय को कार्यक्रम में शामिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
 - अधिकारियों और समुदाय से प्राप्त फीडबैक से पहले के साथ आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीके पर एक सूचित नरिणय लेने में मदद मिलेगी।
- **जन जागरूकता:** स्थानीय लोगों के साथ एक कार्यशाला आयोजित करने से अधिकारियों को मैला ढोने और शौचालयों के इस्तेमाल से संबंधित कानूनी नहितार्थों के बारे में जागरूकता के प्रसार में मदद मिलेगी, साथ ही वे इस प्रथा के कारणों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
 - जागरूकता अभियानों को न केवल मैला ढोने के खतरों को संबोधित करना चाहिये, बल्कि प्रभावित समुदाय को आय अर्जित करने के वैकल्पिक उपाय भी सुझाने चाहिये।
 - स्थानीय लोगों को भी ऐसे समाधान सुझाने की अनुमति दी जा सकती है जिससे वे सहज हों।
- **मैन्युअल स्कैवेंजर्स के लिये मुआवजा और उनका पुनर्वास:** अधिक रोजगार अवसरों का सृजन सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वास प्रक्रियाओं में से एक होगा।
 - सृजित नौकरियों का उद्देश्य स्थानीय लोगों को समान अवसर प्रदान करना होगा। सृजित नौकरियों मैन्युअल स्कैवेंजर्स को समुदाय में आत्मसात् करने के साधन के रूप में भी कार्य करेंगी।
 - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिये यह अनविर्य बनाया कि वह उन सभी लोगों की पहचान करे जो वर्ष 1993 से अब तक सीवेज सफाई के दौरान मारे गए और उनमें से प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दे।
- **उपयुक्त मानव अपशषिट प्रबंधन में नविश:** ठोस एवं तरल अपशषिट पृथक्करण समस्याओं को हल करना तथा साथ ही नगर निकाय स्तर पर जैव खाद का निर्माण करना ऐसे कुछ उपाय हैं जो मानवता के लाभ के लिये अपशषिटों का उपयोग कर सकते हैं।
 - अपशषिट को दायित्व के बजाय संपत्ति के रूप में देखने से मैन्युअल स्कैवेंजिंग को भविष्य में कम किया जा सकेगा और यह स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत में योगदान कर सकेगा।
- **रोबोटिक स्कैवेंजिंग:** रोबोटिक्स और आर्टफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी मशीनें तैयार की जा सकती हैं जो ऐसे मैन्युअल श्रम में इंसानों की जगह ले सकें।
 - बैंडीकूट (Bandicoot) एक ऐसी ही रोबोटिक मशीन है जिससे किसी भी प्रकार के सीवर मैनहोल की सफाई के लिये बनाया गया है
- **सामाजिक एकता की ओर:** मैला ढोने का कार्य अत्यंत कम आय प्रदान करता है जो एक बच्चे को शक्ति करने के लिये भी पर्याप्त नहीं है। इस परदृश्य में बच्चा पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और अपने माता-पिता के साथ उसी कार्य में संलग्न होने के लिये वविश होता है।
 - ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना चाहिये जो इन बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करे। यह मैन्युअल स्कैवेंजिंग से संबद्ध धारणाओं और मथिकों के त्याग में एक प्रभावी रणनीति साबित होगी।

अभ्यास प्रश्न: हालाँकि भारत में मैन्युअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर प्रतर्बिध आरोपित है, लेकिन यह अमानवीय अभ्यास अब भी जारी है। समालोचनात्मक विश्लेषण करें।